

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / 2020 / 327

दिनांक: 23/3/2020

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
2. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान

विषय: COVID-19 रोगियों की पहचान करने हेतु ओपीडी में आने वाले ARI/ URI/ Pneumonia व अन्य श्वसन तंत्र से सम्बन्धित रोगियों की सूचना प्राप्त करने के क्रम में।

संदर्भ: भारत सरकार द्वारा जारी की गयी एडवाइजरी के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राज्य के COVID-19 रोग के प्रसार को देखते हुये यह आवश्यक है कि आपके व आपके अधिनस्थ संस्थाओं एवं के साथ साथ निजी चिकित्सा केन्द्रों पर आने वाले ARI/ URI/ Pneumonia व अन्य श्वसन तंत्र से सम्बन्धित रोगियों की मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एवं आपके अधिनस्थ एवं समस्त निजी चिकित्सा केन्द्र प्रतिदिन ARI/ URI/ Pneumonia व अन्य श्वसन तंत्र से सम्बन्धित रोगियों की सूचना विश्लेषण करते हुए संबंधित जिला आईडीएसपी सेल को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी एक ही क्षेत्र/गांव/वार्ड/मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि से उक्त रोग से संबंधित रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो तुरन्त ही रेपिड रेस्पॉन्स टीम संबंधित क्षेत्र में भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

साथ ही प्रभारी आईडीएसपी सेल प्रतिदिन प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण कर निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 23/3/2020

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / 2020 / 327

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
5. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, जयपुर (राज0) को भेजकर लेख है कि समस्त को सूचना प्रेषित किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।
6. नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी) मुख्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त सूचनायें नियमित रूप से प्रतिदिन मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-गेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
9. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर